उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-623/ग्यारह-2-22-9(47)/17-टी.सी.191-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(241)-2022

लखनऊः दिनांकः 18 जुलाई, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उप धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-836/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(06)-2017 दिनांक 30-06-2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में

क. प्रारंभिक पैराग्राफ में,

(i) खंड (पाँच) में, शब्द "और" निकाल दिया जाएगा;

(ii) खंड (छः) में, शब्द और अंक "अनुसूची छः" के पश्चात्, शब्द ", और" बढ़ा दिया जाएगा;

(iii) खंड (छः) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"(सात) अनुसूची सात में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में 0.75 प्रतिशत ।";

ख. अनुसूची एक में - 2.5%,-

(i) क्रम संख्या 1 और 2 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, शब्द "और युनिट कंटेनर" से प्रारम्भ होने वाले और शब्द और कोष्ठक "उपलब्ध हो;" के साथ समाप्त होने वाले के स्थान पर शब्द "जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हों" रख दिये जाएंगे;

(ii) क्रमांक 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात्:-

"9क	0403	दही, लस्सी, छाछ, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो ";

(iii) क्रम संख्या 11 और 13 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, शब्द "जो यूनिट कंटेनर" से प्रारम्भ होने वाले और शब्द और कोष्ठक "परित्याग कर दिया गया हो" के साथ समाप्त होने वाले के स्थान पर शब्द "जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हों" रख दिये जायेंगे;

(iv) क्रम संख्या 16 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, शब्द "और युनिट कंटेनर" से प्रारम्भ होने वाले और शब्द और कोष्ठक "उपलब्ध हो" के साथ समाप्त होने वाले के स्थान पर शब्द "प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए गये हों" रख दिये जायेंगे;

(v) क्रम संख्या 25 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, शब्द "जो यूनिट कंटेनर" से प्रारम्भ होने वाले और शब्द और कोष्ठक "परित्याग कर दिया गया हो" के साथ समाप्त होने वाले" के स्थान पर शब्द "जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो" रख दिये जायेंगे;

(vi) क्रम संख्या 26 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, शब्द "यूनिट कंटेनर" से प्रारम्भ होने वाले और शब्द और कोष्ठक "उपलब्ध हो" के साथ समाप्त होने वाले के स्थान पर शब्द "प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हों" रख दिये जायेंगे;

(vii) क्रम संख्या 30 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, शब्द "यूनिट कंटेनर" से प्रारम्भ होने वाले और शब्द और कोष्ठक "उपलब्ध हो" के साथ समाप्त होने वाले के स्थान पर शब्द "प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए गये हों" रख दिये जायेंगे;

(viii) क्रम संख्या 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58 और 59 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, शब्द "जो यूनिट कंटेनर" से प्रारम्भ होने वाले और शब्द और कोष्ठक "परित्याग कर दिया गया हो" के साथ समाप्त होने वाले के स्थान पर शब्द "जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हों" रख दिये जायेंगे;

(ix) क्रमांक 91 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात्:-

"91 क	1701 या 1702	बेंत गुड़ (गुड़), पलमायरा गुड़ सहित समस्त प्रकार के गुड़, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो; खांड सारी शुगर जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो";

(x) क्रमांक 98 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात्: -

"98 क	1904	फूला हुआ चावल, जिसे आमतौर पर मुरी के नाम से जाना जाता है, चपटा या पीटा हुआ चावल, जिसे आमतौर पर चिरा के रूप में जाना जाता है, पार्च्ड चावल, जिसे आमतौर पर खोई, पार्च्ड धान या चीनी या गुड़ के साथ लेपित चावल के रूप में जाना जाता है, जिसे आमतौर पर मुर्की के नाम से जाना जाता है, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हों";

(xi) क्रम संख्या 101क के समक्ष, स्तम्भ (3) में, शब्द "जो कि यूनिट कंटेनरों" से प्रारम्भ होने वाले और शब्द और कोष्ठक "परित्याग कर दिया गया हो" के साथ समाप्त होने वाले के स्थान पर शब्द "जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हों" रख दिये जायेंगे;

(xii) क्रमांक 163 और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;

(xiii) क्रमांक 181क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात्: -

“181 ख	3006	ओस्टोमी उपकरण थैली या फ्लैंज, स्टोमा चिपकने वाला पेस्ट, बैरियर क्रीम, सिंचाई किट, आस्तीन, बेल्ट, माइक्रो-पोर टेप सहित”;

(xiv) क्रम संख्या 182 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, शब्द "जिन्हे इकाई आधानो में रखा गया हो और जिनका ब्रांड नाम हो” के स्थान पर शब्द " जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हों" रख दिये जायेंगे;

(xv) क्रमांक 197क, 197ख, 197ग, 197घ और 197ङ और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;

(xvi) क्रम संख्या 215 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, शब्द "जो कि यूनिट कंटेनर में बंद हो और जिनका ब्रांड नेम हो” के स्थान पर शब्द "जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हों" रख दिये जायेंगे;

(xvii) क्रमांक 230, 232, 233, 234क और 234ग तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;

(xviii) क्रम संख्या 255 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:-

“255क	9021	आर्थोपेडिक उपकरण, जैसे बैसाखी, सर्जिकल बेल्ट, और ट्रसस; स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण; शरीर के कृत्रिम अंग; अन्य उपकरण जो किसी दोष या अक्षमता की भरपाई के लिए पहने या ढोये जाते हैं, या शरीर में प्रत्यारोपित किए जाते हैं; इंट्राओक्युलर लेंस [हियरिंग एड्स से भिन्न]";

(xix) क्रम संख्या 264 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, सूची 3 में, मद (ख) में, उप मद 1 और तत्संबंधी प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;

ग. अनुसूची दो में - 6%,-

(i) क्रम संख्या 16 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, शब्द "अमरूद" के पश्चात्, शब्द और कोष्ठक "आम (कटे हुए, सूखे आम से भिन्न)" रख दिये जायेंगे;

(ii) क्रम संख्या 41क के समक्ष, स्तम्भ (3) में, शब्द "जो यूनिट कंटेनर" से प्रारम्भ होने वाले और शब्द और कोष्ठक “परित्याग कर दिया गया हों" के साथ समाप्त होने वाले के स्थान पर शब्द "जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हों" रख दिये जायेंगे;

(iii) क्रम संख्या 46 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, शब्द "जो कि यूनिट कंटेनरों" से प्रारम्भ होने वाले और शब्द और कोष्ठक "परित्याग कर दिया गया हो" के साथ समाप्त होने वाले के स्थान पर शब्द "जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हों" रख दिये जायेंगे;

(iv) क्रम संख्या 65 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, शब्द "गर्भनिरोधक" के पश्चात्, शब्द "और ओस्टोमी उपकरण" बढ़ा दिये जायेंगे;

(v) क्रमांक 70 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;

(vi) क्रम संख्या 85क और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:-

"85ख	4107	शीर्षक 4114 के चमड़े से भिन्न चर्मपत्र-पोशाक चमड़े, गोजातीय (भैंस सहित) या घोड़े के जानवरों सहित कमाना या क्रस्टिंग के पश्चात् तैयार चमड़ा, बिना बालों के, चाहे विभाजित हो अथवा नहीं,
85ग	4112	शीर्षक 4114 के चमड़े से भिन्न चर्मपत्र-पोशाक चमड़े, भेड़ या भेड़ के बच्चे सहित, कमाना या क्रस्टिंग के पश्चात् तैयार चमड़ा, बिना ऊन के, चाहे विभाजित हो अथवा नहीं,
85घ	4113	शीर्षक 4114 के चमड़े से भिन्न, अन्य जानवरों के चर्मपत्र-पोशाक चमड़े सहित, बिना ऊन या बालों के, चाहे विभाजित हो अथवा नहीं, कमाना या क्रस्टिंग के पश्चात् तैयार किया गया चमड़ा
85ङ	4114	चामोइस (संयोजन चामोइस सहित) चमड़ा; पेटेंट लेदर और पेटेंट लैमिनेटेड लेदर; धातुयुक्त चमड़ा
85च	4115	चमड़े या चमड़े के फाइबर के आधार पर बनाया गया चमड़ा, स्लैब, शीट या पट्टी में, चाहे रोल में हो अथवा नहीं; चमड़े या कंपोजीशन लेदर के परिंग्स और अन्य अपशिष्ट, जो चमड़े की वस्तुओं के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं हैं; चमड़े की धूल, पाउडर और आटा";

(vii) क्रमांक 120 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;

(viii) क्रम संख्या 125 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:-

"125क"	4905	मानचित्र और हाइड्रोग्राफिक या समस्त प्रकार के समान चार्ट, जिसमें एटलस, दीवार के नक्शे, स्थलाकृतिक योजनाएं और ग्लोब, मुद्रित सम्मिलित हैं";

(ix) क्रम संख्या 176ख के समक्ष, स्तम्भ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "फ्लाई ऐश ब्रिक्स; फ्लाई ऐश समुच्चय; फ्लाई ऐश ब्लॉक" रख दिये जायेंगे;

(x) क्रमांक 187, 188, 189, 192 और 193 तथा उससे सम्बंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;

(xi) क्रमांक 194 और उससे सम्वंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:-

"194क	8419 12	सोलर वॉटर हीटर और सिस्टम";

(xii) क्रमांक 195 और तत्संबंधी प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;

(xiii) क्रम संख्या 197 के समक्ष, स्तम्भ (3) में शब्द और अंक अंडे, फल या अन्य कृषि उपज की सफाई, छंटाई या श्रेणीकरण के लिये मशीने, उनसे भिन्न जो शीर्ष संख्या 8437 की है, के स्थान पर शब्द, "उसके हिस्से" रख दिये जायेंगे;

(xiv) क्रमांक 198, 205, 217, 221, 226 और 227 और तत्संबंधी प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;

घ. अनुसूची तीन में - 9%,-

(i) क्रम संख्या 30क के समक्ष, स्तम्भ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "कोयले से टार डिस्टिल्ड, लिग्नाइट से या पीट और अन्य खनिज टार से, चाहे निर्जलित या आंशिक रूप से डिस्टिल्ड, पुनर्गठित टार सहित" रख दी जायेंगी;

(ii) क्रमांक 54ख और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

"54ग	3215	प्रिंटिंग स्याही, लेखन या ड्राइंग स्याही और अन्य स्याही सहित सभी सामान, चाहे संकेंद्रित या ठोस, फाउंटेन पेन स्याही, बॉल पेन स्याही";

(iii) क्रम संख्या 148 के समक्ष , स्तम्भ (3) में, प्रतीक और शब्द "[एसेप्टिक पैकेजिंग पेपर से भिन्न]" निकाल दिये जायेंगे;

(iv) क्रम संख्या 157ख के समक्ष, स्तम्भ (3) में, शब्द और कोष्ठक "स्क्रिप्स" के पश्चात्, शब्द और अंक "चेक, खुला या बही के रूप में" बढ़ा दिये जायेंगे;

(v) क्रमांक 182घ के समक्ष, स्तम्भ (3) में, कोष्ठक, शब्द और अंक "[फ्लाई ऐश ईटे, फ्लाई ऐश ब्लॉक, फ्लाई ऐश समुच्चय जिनमे फ्लाई ऐश कंटेंट 90 प्रतिशत या उससे अधिक हो से भिन्न" के स्थान पर कोष्ठक और शब्द "[फ्लाई ऐश ईंटों, फ्लाई ऐश समुच्चय, फ्लाई ऐश ब्लॉक से भिन्न]" रख दिये जायेंगे;

(vi) क्रम संख्या 301क को क्रमांक 301कक के रूप में पुनर्संख्याकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनर्संख्याकित किए गए क्रम संख्या 301कक से पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:-

"301क	8211	काटने वाले ब्लेड के साथ चाकू, दाँतेदार अथवा नहीं (छंटनी चाकू सहित), शीर्षक 8208 के चाकू से भिन्न, और उसके लिए ब्लेड";

(vii) क्रम संख्या 302क के समक्ष, स्तम्भ (3) में, कोष्ठक और शब्द "[पेपर छुरियों, पेंसिल गढ़ने वाले औजारों और उनके ब्लेडों से भिन्न]" निकाल दिये जायेंगे;

(viii) क्रम संख्या 302क और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:-

"302ख	8215	चम्मच, कांटे, करछुल, स्किमर्स, केक-सर्वर, मछली-चाकू, मक्खन-चाकू, चीनी चिमटे और इसी तरह की रसोई या टेबलवेयर";

(ix) क्रम संख्या 317ख के समक्ष, स्तम्भ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "(क) कंक्रीट पंप [8413 40 00]; (ख) अन्य रोटरी सकारात्मक विस्थापन पंप [8413 60]; (ग) बिजली से चलने वाले पंप मुख्य रूप से पानी को संभालने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, यथा, केन्द्रापसारक पंप (क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर), गहरे ट्यूब-वेल टर्बाइन पंप, सबमर्सिबल पंप, अक्षीय प्रवाह और मिश्रित प्रवाह ऊर्ध्वाधर पंप"; रख दी जायेंगी;

(x) क्रम संख्या 317ख और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:-

"317ग	8414 20 10	साइकिल पंप
317घ	8414 90 12	हवा के पुर्जे या वैक्यूम पंप और साइकिल पंप के कम्प्रेसर";

(xi) क्रम संख्या 328 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:-

"328क	8433	शीर्षक 8437 की मशीनरी से भिन्न अंडे, फल या अन्य कृषि उत्पादों की सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग के लिए मशीनें; उसके हिस्से [8433 90 00]
328ख	8434	दूध निकालने वाली मशीनें और डेयरी मशीनरी;

(xii) क्रम संख्या 329 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

"329क	8437	सफाई, छँटाई या ग्रेडिंग, बीज, अनाज या सूखे फलीदार सब्जियों के लिए मशीनें; मिलिंग उद्योग में या अनाज या सूखे फलीदार सब्जियों के काम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीनरी, जो कि कृषि प्रकार की मशीनरी और उसके पुर्जों से भिन्न है";

(xiii) क्रम संख्या 371 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:-

"371क	84 या 85	ई - अपशिष्ट *स्पष्टीकरण* - इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, ई-अपशिष्ट का अर्थ है ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 की अनुसूची I में सूचीबद्ध विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 338 (अ) दिनांक 23 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित), संपूर्ण या आंशिक रूप से अगर उपभोक्ता या थोक उपभोक्ता द्वारा कचरे के रूप में फेंक दिया जाता है";

(xiv) क्रम संख्या 376कग के समक्ष, स्तम्भ (3) में, कोष्ठक और शब्द "[वैटग्राइंडर जिसमें पत्थर के ग्राइंडर लगे हों से भिन्न]" निकाल दिये जायेंगे;

(xv) क्रम संख्या 390 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, कोष्ठक, शब्द और अक्षर "[प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रकाश स्रोतों से भिन्न]" निकाल दिये जायेंगे;

(xvi) क्रम संख्या 406 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:-

"406क	8807	शीर्षक 8801 के माल के भाग";

(xvii) क्रमांक 413 के समक्ष, स्तम्भ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "ड्राइंग, मार्किंग-आउट या गणितीय गणना उपकरण (उदाहरण के लिए, ड्राफ्टिंग मशीन, पेंटोग्राफ, प्रोट्रैक्टर, ड्राइंग सेट, स्लाइड रूल्स, डिस्क कैलकुलेटर); लंबाई मापने के लिए उपकरण, हाथ में उपयोग के लिए (उदाहरण के लिए, मापने की छड़ और टेप, माइक्रोमीटर, कैलिपर), विनिर्दिष्ट नहीं हैं या इस अध्याय में कहीं और सम्मिलित नहीं हैं" रख दी जायेंगी;

(xviii) क्रमांक 438क के समक्ष, स्तम्भ (3) में, अक्षर, शब्द और कोष्ठक "एलईडी लाइटें और फिचर, जिसमें एलईडी लैंप भी है; एलईडी (लाइट एमिटिंग डायोड) ड्राइवर और एमसीपीसीबी (मेटल कोर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड)" निकाल दिये जायेंगे;

ङ. अनुसूची छः - 0.125% में,

(i) क्रमांक 1 के समक्ष, स्तम्भ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "रफ डायमंड या सिंपली सान डायमंड, औद्योगिक या गैर-औद्योगिक" बढ़ा दी जायेंगी;

(ii) क्रम संख्या 3 के समक्ष, स्तम्भ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "सिंथेटिक या पुनर्निर्मित कीमती या अर्ध-कीमती पत्थरों [हीरों से भिन्न], चाहे काम किया गया हो अथवा नहीं, लेकिन स्ट्रॉन्ग, माउंटेड या सेट नहीं; परिवहन की सुविधा के लिए अस्थाई रूप से फंसे हुए अवर्गीकृत सिंथेटिक या पुनर्निर्मित कीमती या अर्ध-कीमती पत्थर [हीरे से भिन्न]; सिंथेटिक या पुनर्निर्मित हीरे, बिना काम के या केवल आरी या मोटे तौर पर आकार के" रख दी जायेंगी;

च. अनुसूची छः के पश्चात और स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी; अर्थात्:-

"अनुसूची सात - 0.75%

क्रमांक	अध्याय/शीर्षकक/उप-शीर्षकक/टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	7102	अनुसूची छः में क्रम संख्या 1 के समक्ष विनिर्दिष्ट वस्तुओं से भिन्न अन्य माल
2.	7104	अनुसूची छः में क्रम संख्या 3 के समक्ष विनिर्दिष्ट वस्तुओं से भिन्न अन्य माल";

छ. अनुसूची सात के पश्चात्, स्पष्टीकरण में, खंड (ii) और तत्सम्बधी प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

"(ii) 'प्री- पेकेज्ड और लेबल' वाक्यांश का अर्थ 'प्री-पैकेज्ड कमोडिटी' है जिसे विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 1 सन् 2010) की धारा 2 के खण्ड (ठ) में यथा परिभाषित किया गया है, जहां विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 1 सन् 2010) और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन घोषित करने के लिये आवश्यक माल पहले से पैक किया गया है या उस पर सुरक्षित रूप से लेबल चिपका हुआ है।"

2. यह अधिसूचना तारीख 18 जुलाई, 2022 को प्रवत्त होगी।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)

प्रमुख सचिव